न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –246 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024 / 296

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मनोज पुत्र रामूराम जाति ब्राहम्ण निवासी बुरड़ी तहसील डेह जिला–नागौर		1. सरकार जरिये हल्का पटवारी, झाड़ेली तहसील डेह जिला नागौर 2. नायब तहसीलदार,डेह, तहसील डेह, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 04.03.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार डेह, (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 60 / 2022 अन्वान सरकार बनाम मनोज में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट का अपील मयाद के बिन्दू पर बहस में कथन हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को उपस्थित होने के संबंध में नोटिस दिया गया था, उस दिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुआ, किन्तु उस समय पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे। उस समय संबंधित रीडर द्वारा अपीलांट को यह बताया गया कि आप चले जाओ, जब जरूरत होगी, तब बुला लेंगे। किन्तु उसके पश्चात् उक्त तहसील कार्यालय से अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। जिसके चलते अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। अभी हाल ही में दिनांक 05.11.24 का नोटिस जब अपीलांट को प्राप्त हुआ, तब अपीलांट ने तहसील जाकर आदेश जैर अपील की जानकारी कर नकलें प्राप्त की। तब अपीलांट को दिनांक 04.12.2024 को आदेश जैर अपील की सम्पूर्ण जानकारी हुई। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें ।

राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की शुरू से जानकारी थी परन्तु उन्होंने जानबुझकर इस अपील को बिलम्ब से पेश किया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

कलक्टर नागौर

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं,जिन्हें कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं होती हैं। इसलिए अपील अपीलांट अन्दर मयाद ली जाकर मेरिट पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का अपील की बहस में कथन हैं कि ग्राम बुरड़ी के खसरा नम्बर 190 की भूमि पर अपीलांट का कोई स्थाई रूप से कब्जा नहीं हैं बल्कि उक्त भूमि के एक छोटे से हिस्से पर एक कच्चा लकड़ी का ढाबा अस्थाई रूप से रखा हुआ है,जिसमें अपीलांट चाय की दुकान चलाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता हैं। इसके अलावा अपीलांट के पास रोजगार के अन्य कोई साधन नहीं हैं। केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से अपीलांट के विरूद्व यह कार्यवाही की गई हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया हैं। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें तथा प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया जावें।

राजपैरोकार का बहस में कथन हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम बुरड़ी के खसरा नम्बर 190 गै0मु0 गोचर भूमि के रकबा 0.0243 है0 पर कच्चा छप्पर एवं चाय का ढाबा लगाकर अतिक्रमण किया था,जिसके विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर सायल के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पेश किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे गै0मु0 गोचर की भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने पर बेदखली का आदेश पारित किया जो सही आदेश पारित किया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का,झाड़ेली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि श्री मनोज पुत्र रामूराम,जाति–ब्राह्मण, निवासी–बुरड़ी तहसील जायल द्वारा ग्राम बुरड़ी के खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0243 हैं0 किस्म जमीन गोचर पर कच्चा छप्पर(चाय का ढाबा) रख कर अनाधिकृत कब्जा कर रखा हैं। उप तहसीलदार, डेह द्वारा न्यायालय में प्रकरण संख्या 60/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तारीख पेशी दिनांक 16.02.2023 की परत पर गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर हैं,जिससे यह प्रगट हैं कि गैर सायल को नोटिस स्वयं से तामिल होने के बावजूद गैर सायल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया हैं।

प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट दिनांक 22.08.2022 के अनुसार गैर सायल द्वारा ग्राम बुरड़ी के खसरा नम्बर 190 गै0मु0 गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर ढाबा लगाया हैं। अपीलार्थी ने स्वयं ने अपना अतिक्रमण होना अपील में स्वीकार किया हैं। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी पर स्वामित्व स्वरूप कब्जा होने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से गैर सायल द्वारा गै0मु0 गोचर खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0243 पर अनाधिकृत कब्जा किया हैं। अपीलांट को इस प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए उनके विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बेदखली/जुर्माना के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

कलक्टर नागौर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2023 यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुन: लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर